

देश-देशांतर – भारत-अमेरिका: गहराते रश्मि

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

1. भारत और अमेरिका के सम्बन्ध लगातार घनषिट होते जा रहे हैं। बीते सोमवार को अमेरिका ने भारत को द्विपक्षीय व्यापार के मामले में नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) के सदस्य देशों के बराबर का दर्जा दिया है।
2. अमेरिका के इस फैसले का भारत को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उसे उच्च तकनीकी वाले अमेरिकी रक्षा उपकरण और हथियार आदि आसानी से हासिल हो सकेंगे।
3. जनि दशों को अमेरिका ने STA-1 (पहले स्तर का स्ट्रैटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन) का दर्जा दिया हुआ है, उन्हें इस नयितरण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया से छूट मलि जाएगी।
4. भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने इस तरह का दर्जा सहयोगी नाटो देशों तथा ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया को भी दिया है।
5. अब चूँकि भारत को भी यह दर्जा मलि चुका है, इसलिये वह भी इस छूट का हकदार हो गया है।
6. इसके अतिरिक्त सख्त नयितरण वाले उत्पाद और कई ऐसे गैर-रक्षा उत्पाद भी अमेरिका से सहज तौर पर मलि सकेंगे जिनके नरियात पर वहाँ सख्त नयितरण रखा जाता है और सरिफ कड़ी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के तहत इन उत्पादों का नरियात किया जाता है।

क्या है सामरिक व्यापार प्राधिकरण या स्ट्रैटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन?

1. वर्ष 2011 में नरियात नयितरण सुधार पहल के रूप में सामरिक व्यापार प्राधिकरण या स्ट्रैटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत दो सूचियाँ- STA-1 और STA-2 बनाई गईं। जो देश इन दोनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें दोहरी उपयोग की वस्तुओं के नरियात के लिये लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी।
2. वदिति हो कि STA-1 सूची में NATO के सहयोगी और ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा दक्षिण कोरिया सहित 36 देश शामिल हैं, इन देशों की अप्रसार व्यवस्था को अमेरिका द्वारा सबसे अच्छा कहा गया है।
3. उल्लेखनीय है कि ये देश चारों बहुपक्षीय नरियात नयितरण व्यवस्था- परमाणु आपूर्तकिर्त्ता समूह (NSG), मसिाइल प्रौद्योगिकी नयितरण व्यवस्था (MTCR), ऑस्ट्रेलिया समूह और वासनेर व्यवस्था के हसिसा हैं।
4. यह व्यवस्था अमेरिका से नरियात के संबंध में लाइसेंस अपवाद की अनुमति देती है। अमेरिकी सरकार इस प्रकार की प्राधिकरण नशिचति स्थितियों में लेन-देन वशिषिट लाइसेंस (transaction – specific license) के बिना नशिचति वस्तु के नरियात की अनुमति देती है।
5. STA – 1 देशों को नरियातति वस्तुओं में राष्ट्रीय सुरक्षा, रासायनिक या जैविक हथियार, परमाणु अप्रसार, क्षेत्रीय स्थरिता, अपराध नयितरण आदि शामिल हैं।
6. इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक, लेज़र और सेंसर, सूचना, सुरक्षा, नेवगिशन, दूरसंचार, एयरोस्पेस आदि शामिल हैं।
7. वही, STA-2 की सूची में शामिल देशों को यद्यपि कुछ मामलों में लाइसेंसिंग से छूट दी जाती है, लेकिन क्षेत्रीय स्थरिता को प्रभावति करने वाले या परमाणु अप्रसार आदि में योगदान करने वाले दोहरी उपयोग की वस्तुओं या प्रौद्योगिकी तक पहुँच नहीं दी जाती थी।
8. उल्लेखनीय है कि STA-1 में शामिल होने से पहले भारत सात अन्य देशों अल्बानिया, हॉन्गकॉन्ग, इज़राइल, माल्टा, सगिापुर, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान के साथ STA-2 की सूची में शामिल था।

क्यों पड़ी अमेरिका को इसकी ज़रूरत?

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका का संबंध एक व्यापक फलक पर वसितृत है। इसे शीतयुद्ध के दौर से लेकर सविलि न्यूक्लियर डील (2008) तक देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि न्यूक्लियर डील का महत्त्वपूर्ण वषिय भारत को एक उच्च स्तरीय रक्षा तकनीक मुहैया कराना था। अमेरिका के कदम को इसी की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है।

अमेरिका और भारत के रश्मि को कई बार संदेह की नज़र से देखा जाता है। साथ ही हदि-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता वर्चस्व भी उन महत्त्वपूर्ण कारकों में शामिल है जिसे भारत को अमेरिका के एक व्यापारिक साझेदार से सामरिक साझेदार के रूप में लाकर खड़ा किया है।

भारत के लिये संभावति लाभ

1. यह एक ऐसा कदम है जिसके माध्यम से भारत में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के नरियात के लिये व्यक्तगित लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

2. इससे रक्षा एवं उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-अमेरिका व्यापार तथा तकनीकी सहयोग को और भी सुवर्धित बनाया जा सकेगा।

3. यह भारत को अमेरिका के एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में स्थापित करता है तथा बहुपक्षीय नरियात नरियत्रण व्यवस्था के अंतर्गत एक ज़मिमेदार सदस्य के रूप में भारत के नरिदोष रकिरड की पुष्टि करता है।

4. यह आधारभूत संचार, संगतता और सुरक्षा समझौते (Communication, Compatibility and Security Agreement- COMCASA) को भी बढ़ावा देता है।

Communication, Compatibility and Security Agreement- COMCASA

- न्य देशों के बीच अमेरिका आधारित उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग की दशा में मार्गदर्शन का कार्य करता है।
- यह व्यवस्था अमेरिका से संचार, सुरक्षा उपकरणों के हस्तांतरण के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करती है।
- यह समझौता अमेरिकी मूल के सुरक्षित डेटा लकि का उपयोग करने वाले देश की सेना और अन्य देशों की सेनाओं की क्षमता के मध्य "अंतःक्रियाशीलता" की सुवर्धित प्रदान करता है।
- अन्य दो समझौते - लॉजिस्टिक्स वनिमिय ज़ापन समझौता(Logistics Exchange Memorandum of Agreement- LEMOA) और भूस्थानिक सहयोग के लिये मूल वनिमिय और सहयोग समझौता (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-spatial Cooperation- BECA) हैं।

(टीम दृष्टि इनपुट)

5. यह भारत द्वारा अमेरिकी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की खरीद को सुगम बनाएगा। उल्लेखनीय है कि इस प्रणाली के माध्यम से भारत हवाई हमलों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की रक्षा कर सकेगा। इस नेशनल एडवांस्ड एयर-टू-सरफेस मिसाइल सिस्टम-2 (NASAMS-II) की खरीद के लिये \$ 1 बिलियन का अनुमान लगाया गया है।

नरिदोष

एक वह दौर था जब 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निकसन ने अपनी 7वीं फ़्लीट को बंगाल की खाड़ी में जाने का आदेश दिया था और भारतीय नौसेना उसके खिलाफ संघर्ष के लिये तैयार खड़ी थी। लेकिन आज वह दौर आ गया है जब अमेरिका द्वारा भारत को STA-1 का दर्जा दिया गया है और प्रीडेटर, गार्ज़ियन आर्म्ड कॉम्बेट ड्रोन आदि देने को तैयार है, जो कि उसने किसी अन्य देश को नहीं दिये हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों में आए बदलाव को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। वस्तुतः वर्तमान अमेरिकी प्रशासन अपने व्यापार को सामरिक नज़रिये से देखने का प्रयास कर रहा है। इस तरह भारत को अपने पड़ोसियों के साथ भी संबंध को प्रगाढ़ बनाए रखने की आवश्यकता है और एक मल्टी अलायंड पॉलिसी का अनुपालन करने की आवश्यकता है।